संख्या-786/2025/नौ-5-2025/003-Comp. No 1800631

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद सोनभद्र,
जनपद-सोनभद्र।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2025

विषय:- राज्य सेक्टर कार्यक्रम के पेयजल हेतु व्यावस्था योजनान्तार्गत नगर पालिका परिषद सोनभद्र, जनपद-सोनभद्र में पेयजल व्यवस्था से संबंधित कार्य की परियोजना हेतु स्वीकृति की गयी धनराशि के लैप्स हो जाने के दृष्टिगत धनराशि पुन: अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के पेयजल हेतु व्यवस्था योजनान्तर्गत नगर पालिका परिषद सोनभद्र, जनपद-सोनभद्र में पेयजल व्यवस्था से संबंधित कार्य की परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-377/2024/नौ-5-2024/001-Com.No.-1800131 दिनांक 15.03.2024 द्वारा रूपये 171.12 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपये 17.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, परन्तु परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण संबंधित कोषागार से निर्धारित समयान्तर्गत न होने के कारण उक्त धनराशि लैप्स हो गयी है।

2- उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत कार्यहित में उपरोक्त परियोजना हेतु लैप्स धनराशि को पुन: स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के पेयजल हेतु व्यवस्था योजनान्तर्गत नगर पालिका परिषद सोनभद्र, जनपद-सोनभद्र में पेयजल व्यवस्था से संबंधित कार्य की परियोजना हेतु रूपये 171.12 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में **रूपये 17.00 लाख (रुपये सत्रह लाख मात्र)** की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड -6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।

3- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,00,000 (रुपये सत्रह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2215011010600 पेयजल हेतु व्यवस्था **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक:यथोक्त।</u>

भवदीय,
25.03.2025

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या-786/2025/नौ-5-2025/003-Comp. No 1800631, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
25.03.2025

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

संख्या-786/2025/नौ-5-2025/003-Comp. No 1800631 दिनांक 25 मार्च, 2025

निकाय/जनपद का नाम	कार्य का विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
नगर पालिका परिषद सोनभद्र, जनपद–सोनभद्र	1– वार्ड–3 बिचपई महाल विस्तारित क्षेत्र में 4 इन्च पी0वी0सी0 पाइप लाइन के विस्तारीकरण कार्य।	11.92	
	2– वार्ड–11 पकरी विस्तारित क्षेत्र में 4 इन्च पी0वी0सी0 पाइप लाइन के विस्तारीकरण कार्य।	39.80	
	3– वार्ड–12 उरमौरा विस्तारित क्षेत्र में 4 इन्च पी0वी0सी0 पाइप लाइन के विस्तारीकरण कार्य।	39.80	
	4– वार्ड–15 बभनौली विस्तारित क्षेत्र में 4 इन्च पी0वी0सी0 पाइप लाइन के विस्तारीकरण कार्य।	39.80	
	5– वार्ड–15 कम्हारी विस्तारित क्षेत्र में 4 इन्च पी0वी0सी0 पाइप लाइन के विस्तारीकरण कार्य।	39.80	
	योग	**171.12**	**17.00**

रूपये 17.00 लाख (रुपये सत्रह लाख मात्र)

25.03.2025

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव

Arun ji-Go-2024-25-VC

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-25/03/2025

प्रेषण संख्या:- 786
आवंटन आदेश संख्या:- 001-786-2025-9-5-2025-003-CN-1800631
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	सोनभद्र-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1700000 98065000	1700000 98065000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1700000 98065000	1700000 98065000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्रह लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ करोड़ अस्सी लाख पैंसठ हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव